श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एंव विज्ञान संस्थान इन्दौर

28 JAN 2026

अत्यावश्यक–सूचना पत्र

पोमेछा / 2026 / 1525 दिनांक 27 / 01 / 2026

संस्थान के समस्त विद्यार्थियो को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारो की संतानो को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये **मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना वर्ष 2025–26 लागू की गयी है, योजना की शर्ते निम्नानुसार है :–**

1 मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग मे विद्यार्थीयो के माता / पिता का असंगठित कर्मकार के रूप मे पंजीयन हो।

2 कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त की है व किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कालेज मे उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो

अ) शासकीय कालेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

ब) प्रायवेट कालेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो, राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3 विद्यार्थीयो द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट / प्रतिपूर्तिहेतु medhavikalyan.mp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर, यूजरआईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

4 डिप्लोमा के आधार पर द्वितीय वर्ष मे प्रवेश लेने पर विद्यार्थियो को इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नही होगा।

5 विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना मे लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करेगा।

6 आवेदनकरते समय प्रवेश परीक्षा की अंकसूची, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वी एवं 12 वी की अंकसूची , अलाटमेंट लेटर, प्रवेश पत्र एवं चालान की प्रतिलिपि, समग्र आय.डी, आधार कार्ड,बैक पासबुक की फोटोकापी एवं समस्त दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर करे।

8 विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन, प्रिन्टकर मय दस्तावेजो के साथ संस्थान में जमा करना होगा।

समस्त पात्र विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 16 / 02 / 2026 तक पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप विभाग मे जमा करे।

निदेशक

प्रतिलिपि :–

1) समस्त नोटिस बोर्ड / होस्टल

2) संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with OKEN Scanner